आदेश की कम सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ

30/09/19

प्राधिकार, भूमि सुधार उप समाहर्ता, अरवल

बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम वाद संख्या 03/2019

वंशरोपण मिस्त्री वनाम् विनय चौधरी एवं अन्य

आदेश

आवेदक वंशरोपण मिस्त्री, पिता–स्व० सिरी मिस्त्री, ग्राम–लक्ष्मणपुर बाथ, टोला–वटन विगहा, थाना–परासी, जिला–अरवल ने विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से वाद दायर कर विवादित भूमि का नापी कराने, पिलरींग कराने एवं अतिक्रमण से मुक्त कराने का अनुरोध किया है। विवादित भूमि निम्न है:–

खाता	खेसरा	रकवा	चौहद्दी
187	1880	0.26 डी०	उतर–सोन नदी दक्षिण–नीज मालिक पूरब–शंकर यादव पश्चिम–गबुदन चौधरी

मौजा–लक्ष्मणपुर बाथ, थाना नं०–128, अंचल–कलेर, थाना–परासी, जिला–अरवल

वाद की प्रविष्टी की गई। प्रतिवादीगण को उपस्थिति होने के लिए न्यायालय से नोटिस निर्गत किया गया। प्रतिवादीगण उपस्थित हुए और वाद की सुनवाई की गई।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि:–

(1) विवादित भूमि आवेदक के पिता स्व० सिरी मिस्त्री को हुकुमनामा के माध्यम से प्राप्त भूमि है जिसपर आवेदक अपने पिता के जीवन काल से शांति पूर्वक दखल कब्जे में चले आ रहे है।

(2) प्रतिवादीगण के पिता द्वारा विवादित भूमि पर धारा 144 द० प्र० सं० की कार्यवाई अनुमंडल दण्डाधिकारी, अरवल के न्यायालय में वाद संख्या–1091/2004 लाया गया था जो खारीज किया गया था।

(3) प्रतिवादीगण के पिता द्वारा विवादित भूमि पर वाद संख्या–1237/2005 धारा 145 द० प्र० सं० की कार्यवाई में वापस ले लिये। विवादित भूमि पर सब जज जहानाबाद के न्यायालय में हकियत वाद संख्या–28/2005 लाया गया जिसे दिनांक 09.09.2013 को खारीज कर दिया गया। जिसे प्रतिवादीगण द्वारा सब जज जहानाबाद के न्यायालय में विविध वाद संख्या–25/2013 जो दिनांक 01.05.2018 को खारीज हो गया।

(4) आवेदक के भूमि के सटे प्रतिवादीगण के पिता द्वारा 1988 में प्लॉट संख्या–1870, रकवा–$1\frac{1}{2}$ डी० खरीद किये थे जिस वसीका के चौहदी में पूरब तरफ आवेदक का नाम अंकित है।

(5) विवादित भूमि को लेकर ग्राम कचहरी कामता के न्यायालय में वाद चला था जो जॉच पड़ताल के वाद आवेदक के पक्ष में फैसला हुआ।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में मॉगे गये अनुतोष को स्वीकृत करने का अनुरोध आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने किया है।

प्रतिवादीगण के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि:–

(1) विवादित भूमि मालिक गैरमजरूआ भूमि है जिसका रिर्टन आवेदक के पास नही है जिसे वादी के विवादित भूमि पर हक, कब्जा करना गलत है।

(2) विवादित भूमि प्रतिवादी का निबंधित केवाला के माध्यम से खरीदगी भूमि है जिस पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश जहानाबाद के न्यायालय में हकियत वाद संख्या–07/17 लंबित है। जब

मामला वरीय न्यायालय में लंबित हो तो दुसरा वाद नही चलाया जा सकता है।
(3) आवेदक द्वारा विवादित भूमि पर प्रतिवादी द्वारा हकियत वाद संख्या–28/2005 एवं विविध वाद संख्या–25/2013 सब जज जहानाबाद द्वारा खारीज किया गया है। इस आदेश के विरूद्व जिला सब जज जहानाबाद के न्यायालय में विविध अपील वाद संख्या–07/2017 लंबित चल रही है।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में वाद खारीज करने योग्य है।

आवेदक को सुना एवं वाद में पोषित कागजातों का अवलोकन किया। आवेदक द्वारा विवादित भूमि पर हुकुमनामा के आधार पर करते है। विवादित भूमि को लेकर अनुमंडल दण्डाधिकारी, अरवल के न्यायालय में धारा 144 द० प्र० सं० के तहत वाद संख्या–109/2004 गुलबदन चौधरी वनाम् वंशरोपण मिस्त्री में किसी ने किसी का मकान है एवं जानवार एवं सब्जी लगाने का कार्य किया जाता है जिसे समाप्त किया गया तथा सब जज–01 जहानाबाद के न्यायालय में टाईटिल सुट संख्या–28/2005 चला जो खारीज किया गया। विवादित भूमि को लेकर माननीय सब जज–01 अरवल के न्यायालय में विविध वाद संख्या–25/2013 चला जो खारीज किया गया। ग्राम–कचहरी कामता, अंचल–कलेर के यहॉ वाद संख्या–57/2007 में अपने निर्णय में उल्लेखित किया है कि विवादित भूमि वादी के कब्जे में है जो यथोचित है जो वंशरोपण मिस्त्री के पिता के नाम से चौकिदारी रसीद कटटा है जो वर्षो पूर्व से दखल कब्जा को साबित करता है एवं प्रतिवादी द्वारा केवाला के चौहदी में पुरब में वंशरोपण मिस्त्री का पिता जी सिरी मिस्त्री का नाम दर्ज है।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में विवादित भूमि मालिक गैरमजरूआ भूमि है जिसका हुकुमनामा प्रसीद नारायण सिंह के द्वारा सिरी बढ़ई, पिता–भवन बढ़ई, मौजा–लक्षमणपुर बाथ, प्रगाना और थाना–अरवल, जिला–गया के नाम से दिया गया जिसका रिर्टन आवेदक के पास नही है। विवादित भूमि को लेकर जिला एवं सत्र न्यायाधीश जहानाबाद के न्यायालय में हकियत वाद संख्या–07/2017 लंबित है।

अतः विवादित भूमि मालिक गैरमजरूआ भूमि है जिसे हुकुमनामा द्वारा आवेदक को प्राप्त है जिसका रिर्टन दाखिल नही किया गया जिसे प्राप्त हुकुमनामा का मान्यता नही दिया जा सकता है। विवादित भूमि को लेकर वरीय न्यायालय में मामला लंबित है तो जब तक वरीय न्यायालय द्वारा किसी प्रकार का आदेश पारित न हो जाती है तो इस न्यायालय द्वारा किसी भी प्रकार का अनुतोष स्वीकृत नही किया जा सकता है। वाद को खारीज किया जाता है। आदेश की एक प्रति अंचल अधिकारी, कलेर को इस निदेश के साथ प्रेषित करे कि जॉच कर संतुष्ट हो ले कि यदि प्रश्नगत् भूमि गैरमजरूआ मालिक हो तो सरकारी भूमि की सुरक्षा हेतु नियमानुसार कार्यवाई करें।

लेखापित एवं संशोधित

30/9/19

प्राधिकार,भूमि सुधार उप समाहर्ता
अरवल।

30/9/19

प्राधिकार,भूमि सुधार उप समाहर्ता,
अरवल।